प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या0 प्र.सं.कटेली - 237

जिला - सारंगढ़-बिलाईगढ़

क्रमांक 8 2025 दिनांक 14 नवंबर 2025

आदेश

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8 दिनांक 14/11/25 द्वारा श्री रामेश्वर प्रसाद साहू को जनहित के कार्य प्रभावित होने के कारण तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था तथा सेवानियम की कंडिका–16 के तहत जनहित के कार्य प्रभावित होने से आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी लेख किया गया था। उक्त सूचना के पश्चात भी आपके द्वारा कार्यालय में उपस्थिति नही दी गयी है। तदनुसार आपका उक्त कृत्य अनुशासनहीनता की परिधि में आने के कारण, आपको पुनः अपना जवाब दिनांक 13/11/2025 को सायं 03 बजे तक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने बाबत कारण बताओ सूचना पत्र देते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया गया।

किंतु आपके द्वारा न तो अपनी उपस्थिति दी गयी और न ही आपके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिया गया। आपकी अनुपस्थिति के कारण समिति में धान उपार्जन की तैयारी प्रभावित हुई है, जो कि व्यापक लोकहित के विपरीत है। साथ ही किसानों को, रबी ऋण वितरण, खाद बीज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हुए हैं जो कि गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त गंभीर कृत्य के लिए बोर्ड की बैठक दिनांक 14/11/25 के विषय क्रमांक– में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सेवा नियम की कंडिका–16 के तहत लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा डालने के कारण श्री रामेश्वर प्रसाद साहू पद प्रभारी प्रबंधक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत अधिकारी
प्राथमिक कृषि साख
सहकारी समिति मर्या0

क्रमांक / 8 / 2025 / दिनांक 14 नवंबर 2025

प्रतिलिपि :–

1 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़
2 उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं सारंगढ़
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 रायपुर
4 शाखा प्रबंधक/नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 भटगांव

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत अधिकारी
प्राथमिक कृषि साख
सहकारी समिति मर्या0

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या0 भटगांव -1416

जिला -सारंगढ़-बिलाईगढ़

क्रमांक / 2 / 2025 दिनांक 14 नवबर 2025

आदेश

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2...... दिनांक 14/11/25 द्वारा श्री राजेशकुमार आदित्य को जनहित के कार्य प्रभावित होने के कारण तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था तथा सेवानियम की कंडिका–16 के तहत जनहित के कार्य प्रभावित होने से आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी लेख किया गया था। उक्त सूचना के पश्चात भी आपके द्वारा कार्यालय मे उपस्थिति नही दी गयी है। तदनुसार आपका उक्त कृत्य अनुशासनहीनता की परिधि मे आने के कारण, आपको पुनः अपना जवाब दिनाक 13/11/2025 को साय 03 बजे तक कार्यालय में स्वय उपस्थित होकर प्रस्तुत करने बाबत कारण बताओ सूचना पत्र देते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया गया।

किंतु आपके द्वारा न तो अपनी उपस्थिति दी गयी और न ही आपके द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब दिया गया। आपकी अनुपस्थिति के कारण समिति मे धान उपार्जन की तैयारी प्रभावित हुई है, जो कि व्यापक लोकहित के विपरीत है। साथ ही किसानों को, रबी ऋण वितरण, खाद बीज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हुए हैं, जो कि गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त गंभीर कृत्य के लिए बोर्ड की बैठक दिनांक 14/11/25 के विषय क्रमांक–2 मे सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे सेवा नियम की कंडिका–16 के तहत लोकहित के व्यापक कार्य मे बाधा डालने के कारण श्री राजेशकुमार आदित्य पद प्रभारी प्रबंधक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

रामप्रसाद

प्राधिकृत अधिकारी
प्राथमिक कृषि साख
सहकारी समिति मर्या0

क्रमांक / 2 / 2025 दिनांक 14 नवबर 2025

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़
2. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए सारंगढ़ ....
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 रायपुर ....
4. शाखा प्रबंधक /नोडल अधिकारी , जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 भटगांव

रामप्रसाद

प्राधिकृत अधिकारी
प्राथमिक कृषि साख
सहकारी समिति मर्या0

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या0 भतगांव-247

जिला – सारंगढ़-बिलाईगढ़

क्रमांक / 2 / 2025 /   दिनांक 14 नवंबर, 2025

आदेश

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2 ..... दिनांक 14/11/25 द्वारा श्री दयाराम यादव को जनहित के कार्य प्रभावित होने के कारण तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था तथा सेवानियम की कंडिका–16 के तहत जनहित के कार्य प्रभावित होने से आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी लेख किया गया था। उक्त सूचना के पश्चात भी आपके द्वारा कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी गयी है। तदनुसार आपका उक्त कृत्य अनुशासनहीनता की परिधि में आने के कारण, आपको पुनः अपना जवाब दिनांक 13 / 11 / 2025 को सांय 03 बजे तक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने बाबत् कारण बताओ सूचना पत्र देते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया गया।

किंतु आपके द्वारा न तो अपनी उपस्थिति दी गयी और न ही आपके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिया गया। आपकी अनुपस्थिति के कारण समिति में धान उपार्जन की तैयारी प्रभावित हुई है, जो कि व्यापक लोकहित के विपरीत है। साथ ही किसानों को, रबी ऋण वितरण, खाद बीज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हुए हैं, जो कि गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त गंभीर कृत्य के लिए बोर्ड की बैठक दिनांक 14/11/25 के विषय क्रमांक–2... में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे सेवा नियम की कंडिका–16 के तहत लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा डालने के कारण श्री दयाराम यादव पद प्रभारी प्रबंधक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत अधिकारी
प्राथमिक कृषि साख
सहकारी समिति मर्या0

क्रमांक / 2 / 2025 /   दिनांक 14 नवंबर, 2025

प्रतिलिपि :–

1 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़

2 उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए, सारंगढ़

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 रायपुर

4 शाखा प्रबंधक / नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या0 जोरा...246

जिला –सारंगढ़-बिलाईगढ़

क्रमांक / 2 / 2025 / दिनांक 14 नवंबर, 2025

आदेश

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2...... दिनांक 14/11/25..... द्वारा श्री गिरजा शंकर साहू को जनहित के कार्य प्रभावित होने के कारण तत्काल कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था तथा सेवानियम की कंडिका–16 के तहत जनहित के कार्य प्रभावित होने से आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी लेख किया गया था। उक्त सूचना के पश्चात भी आपके द्वारा कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी गयी है। तदनुसार आपका उक्त कृत्य अनुशासनहीनता की परिधि में आने के कारण, आपको पुनः अपना जवाब दिनांक 13/11/2025 को सांय 03 बजे तक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने बाबत् कारण बताओ सूचना पत्र देते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया गया।

किंतु आपके द्वारा न तो अपनी उपस्थिति दी गयी और न ही आपके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिया गया। आपकी अनुपस्थिति के कारण समिति में धान उपार्जन की तैयारी प्रभावित हुई है, जो कि व्यापक लोकहित के विपरीत है। साथ ही किसानों को, रबी ऋण वितरण, खाद बीज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हुए हैं, जो कि गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त गंभीर कृत्य के लिए बोर्ड की बैठक दिनांक 14/11/25 के विषय क्रमांक 2 में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे सेवा नियम की कंडिका–16 के तहत लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा डालने के कारण श्री गिरजाशंकर साहू पद प्रभारी प्रबंधक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
प्राथमिक कृषि साख
सहकारी समिति मर्या0

क्रमांक / 2 / 2025 / दिनांक 14 नवंबर, 2025

प्रतिलिपि :–

1 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला ~~सारंगढ़~~ बिलाईगढ़
2 उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए, सारंगढ़
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 ~~भटगांव~~ रायपुर
4 शाखा प्रबंधक / नोडल अधिकारी, , जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 भटगांव

प्राधिकृत अधिकारी
प्राथमिक कृषि साख
सहकारी समिति मर्या0